रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 29, 2013/माघ 9, 1934

No. 45] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 29, 2013/MAGHA 9, 1934

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2013

सा.का.नि. 50(अ).— केन्द्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए साइबर अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम साइबर अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. साइबर अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2009 में नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"**3. वेतन और भत्ते** – (1) अध्यक्ष और सदस्य को उन सभी अभिलाभों सहित सचिव, भारत सरकार को लागू वेतन और भत्तों का संदाय किया जाएगा, जिनका सचिव, भारत सरकार पात्र है।

(2) अध्यक्ष के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के मामले में जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय से न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुआ है और जो पेंशन, उपदान, अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान या किसी अन्य प्रकार का सेवनिवृत्ति लाभ प्राप्त कर रहा है, अथवा प्राप्त किया है, या प्राप्त करने के लिए हकदार हो गया है, ऐसे अध्यक्ष के वेतन को उसके द्वारा ली गयी या ली जाने वाली पेंशन की सकल राशि या अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान या किसी अन्य रूप में सेवानिवृत्ति लाभों, यदि कोई है, से घटा दिया जाएगा।

परन्तु अध्यक्ष के रूप में उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में, ऐसे अध्यक्ष की सेवा के निबंधन और शर्तें वित्त मंत्रालय द्वारा विभिन्न अधिकरणों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में और उस मंत्रालय के परामर्श से जारी अनुदेशों के अनुसार होगी।

(3) सदस्य के तौर पर किसी ऐसे व्यक्ति जो केन्द्र या राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है और जो पेंशन, अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान या किसी अन्य प्रकार का लाभ प्राप्त कर रहा है अथवा प्राप्त किया है या प्राप्त करने के लिए पात्र हो गया है, के चयन के मामले में, ऐसे सदस्य के वेतन को उसके द्वारा ली गयी या ली जाने वाली पेंशन की सकल राशि या अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान या किसी अन्य रूप में सेवानिवृत्ति लाभों, यदि कोई है, से घटा दिया जाएगा।

[फा. सं. 11(1)/2012-सीएलएफई]
डॉ. अनिता भटनागर जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY
(Department of Electronics and Information Technology)
NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2013

G.S.R. 50(E).— In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 87 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Cyber Appellate Tribunal (Salary, Allowances and Other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2009, namely : -

1. (1) These rules may be called the Cyber Appellate Tribunal (Salary, Allowances and Other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Amendment Rules, 2012.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cyber Appellate Tribunal (Salary, Allowances and Other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2009, for rule 3, the following shall be substituted, namely :--

"**3. Salary and allowances.**— (1) The Chairperson and the Member shall be paid such salary and allowances, as are admissible to a Secretary to the Government of India, including all the benefits that a Secretary is entitled to.

(2) In the case of appointment of a person as the Chairperson, who has retired as a Judge of the Supreme Court or a High Court and who is in receipt of, or has received, or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension, gratuity, employer's contribution to Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay of such Chairperson shall be reduced by the gross amount of pension or employer's contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefit, if any, drawn or to be drawn by him:

Provided that in case a retired Judge of a Supreme Court or a High Court is appointed as the Chairperson, the terms and conditions of service of such Chairperson shall be in accordance with the instructions issued by the Ministry of Finance in respect of appointment of Judges to various Tribunals and in consultation with that Ministry.

(3) In the case of appointment of a person as Member who has retired from service under the Central Government or a State Government and who is in receipt of, or has received, or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension, gratuity,

IndiaCode

employer's contribution to Contributory Provident Fund or other form of retirement benefits, the pay of such Member shall be reduced by the gross amount of pension or employer's contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefit, if any, drawn or to be drawn by him.".

[No. 11(1)/2012-CLFI

Dr. ANITA BHATNAGAR JAIN, Jt. Secy

Note:– The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, notification number G.S.R. 778(E), dated the 27th October, 2009.

IndiaCode